संख्या-10/2026/359/45वि/2026(1918266)

प्रेषक,

पनधारी यादव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ0प्र0,
लखनऊ।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 24 अप्रैल, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष 31 सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-सीएसटी/डी-175, दिनांक 22.04.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-2027 हेतु अनुदान संख्या-070 के अधीन लेखा शीर्षक 3425 अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान-60-अन्य-200-अन्य वैज्ञानिक निकाय को सहायता-03-राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद को सहायक अनुदान 31 सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में कुल स्वीकृत आय-व्ययक रू.1000.00 लाख के सापेक्ष गत वित्तीय वर्ष की अवशेष धनराशि रू.48.75 लाख को समायोजित करते हुए रू.951.25 लाख (रूपये नौ करोड़ इक्यावन लाख पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि निम्न शर्तो/प्रतिवन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तो/प्रतिबन्धों :-

1. यदि संस्था के पास विगत वर्ष की कोई अप्रयुक्त धनराशि अवशेष है तो उसका समायोजन करने के उपरान्त धनराशि निर्गत की जायेगी।
2. प्रकरण में समस्त कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न की जायेगी तथा व्यय का विवरण प्रत्येक माह की 10 तारीख तक वित्त व्यय-नियंत्रण अनुभाग-7 एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
3. अनुदान के आहरण बिल को अनु सचिव/विशेष सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल अनुमोदित मद/योजनाओं पर किया जायेगा।
5. प्रश्नगत स्वीकृति विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है यदि बजट के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पाई जाती है तो इसका उत्तर दायित्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ0प्र0 का होगा।
6. अवमुक्त धनराशि का सक्षम अधिकारी से हस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र दो प्रतियों में व्यय विवरण सहित शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

8. जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
9. अवमुक्त की जाने वाली धनराशि का कोषागार से आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्रावधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनाँक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रुपये 951.25 लाख (रूपये नौ करोड़ इक्यावन लाख पच्चीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 में आय-व्ययक के अनुदान संख्या-070 के अधीन लेखा शीर्षक 3425 अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान-60-अन्य-200-अन्य वैज्ञानिक निकाय को सहायता-03-राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद को सहायक अनुदान 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4. उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराया जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में दिये गये निर्देशों में प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(पनधारी यादव)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश,प्रयागराज/लखनऊ।
(2) महालेखाकार (लेखापरीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(3) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
(7) राज्य योजना आयोग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार गौतम)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in